

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1139/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.228-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(288)-2023


लखनऊ: दिनांक: 29) सितम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल -

1. दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 को, ऐसे दिनांक के रूप में नियत करती हैं जिस दिनांक को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 से 23 तक (धारा 14 से 18 को छोड़कर) के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
2. दिनांक 1 अगस्त, 2023 को, ऐसे दिनांक के रूप में नियत करती हैं, जिस दिनांक को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14 से 18 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,

  
(नितिन रमेश गोकर्ण)  
अपर मुख्य सचिव